

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

पत्रांक 298135

पटना, दिनांक 25/01/2017

ग्रा0वि09(श0)-84/2010(खड-1)

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
उप सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा कर्मियों यथा PRS एवं PTA का EPF अंशदान की राशि खातों में जमा करने के संबंध में ।


महाशय,

आप अवगत है कि वर्ष 2011 से मनरेगा अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवकों के मानदेय से EPF अंशदान की कटौती कर खातों में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है । इस संदर्भ में कतिपय जिलों द्वारा विभिन्न कारणों से EPF राशि की कटौती नहीं किये जाने एवं EPF खातों में अंशदान की राशि जमा नहीं किये जाने के कारण क्षेत्रीय EPF कार्यालय द्वारा Penalty एवं Damages शुल्क के साथ राशि जमा करने की बात कही गई है ।

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त संबंध में Penalty/ Damages शुल्क की राशि में छूट देते हुए EPF अंशदान की राशि खातों में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार निर्णय, आदेश एवं भारत का राजपत्र की छायाप्रति के साथ Declaration Form for Employees Enrolment Campaign 2017 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अतिशीघ्र EPF अंशदान की राशि जमा करने हेतु अपने संबंधित क्षेत्रीय EPF कार्यालय से सम्पर्क कर कार्रवाई की जाय ।

उक्त संबंध में सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय पटना के निदेश के आलोक में दिनांक 02.02.2017 को भविष्य निधि भवन, आर0 ब्लॉक, रोड नं0- 06, पटना में 11:00 बजे पूर्वाह्न में एक बैठक सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है जिसमें खाता खोलने/ EPF अंशदान की राशि जमा करने/ Damages/ Penalty के संबंध में होने वाले कठिनाईयों का निराकरण किये जाने हेतु प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिये जायेंगे । अतः जिला स्तर पर लेखा पदाधिकारी एवं उससे संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर को EPF से संबंधित कागजात के साथ अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार सिंह)

उप सचिव

जापांक 298135
ग्रा0वि09(श0)-84/2010(खड-1)

पटना, दिनांक 25/01/2017

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


उप सचिव

जापांक 298135
ग्रा0वि09(श0)-84/2010(खड-1)

पटना, दिनांक 25/01/2017

प्रतिलिपि:- सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भविष्य निधि भवन आर0 ब्लॉक रोड नं0-6, पटना- 01 को उनके पत्रांक BR/PAT/EO/Misc/2017 दिनांक 18.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


उप सचिव